डॉ० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय

Dr. Ram Manohar Lohiya National Law University

धर्मसंस्थापनार्थाय

पत्रांक:1278-18/ एन.एल.यू.लखनऊ / प्रशा0 / एस–43 / 2017 (2003)
दिनांक: 03 अगस्त, 2018

सूचना

विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् / नव प्रवेशित विद्यार्थी, जो मध्य प्रदेश के निवासी हों एवं जिनकी समस्त श्रोतों से पारिवारिक वार्षिक आय रू0 6.0 लाख से अधिक न हो और विद्यार्थी ने वर्ष 2018 में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा CBSE/ICSE द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हो, ऐसे अर्ह इच्छुक विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, कि वह मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना के अन्तर्गत http://scholarshipportal.mp.nic.in की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार 16 जून, 2018 से आनलाइन आवेदन कर सकते है। आवेदन की अंतिम तिथि हेतु छात्र समय–समय पर स्कॉलरशिप की वेबसाइट को चेक करते रहें। छात्र द्वारा अपने आधार को अपने बैंक खाते से लिंक करना अनिवार्य है।

इच्छुक अर्ह विद्यार्थी बेवसाइट पर दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार आनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें तत्पश्चात सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न कर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रशासनिक भवन के कक्ष सं0 106 / 101 में जमा करना सुनिश्चित करें।

नोटः–

1. अभ्यर्थी आनलाईन आवेदन पत्र प्रेषित (Submit) करने से पूर्व आवेदन पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त कर उसकी सभी प्रविष्टियों का मिलान करके संतुष्ट होने के उपरान्त ही आवेदन पत्र (Submit) करें।
2. आय, स्थानीय निवास प्रमाण–पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित) सम्बन्धित वेबसाइट (http://lokseva.gov.in or http://mpedistrict.gov.in) पर प्रदर्शित होना अनिवार्य है।
3. पिछले शैक्षिक योग्यता के प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
4. आय / निवास प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
5. आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति।
6. शिक्षण संस्थान में जमा की गई शुल्क की रसीद।
7. छात्र द्वारा जनपद के संस्था के समीपस्थ राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में खोले गये खाते की पासबुक की स्वप्रमाणित प्रति।
8. अपने बैंक की शाखा में KYC(Know your customer) फार्म भरकर अवश्य जमा कर दें।
9. http://scholarshipportal.mp.nic.in की वेबसाइट पर एवं नोटिस के साथ संलग्न छात्रों को दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन ध्यानपूर्वक करें।

(यशवन्त राव)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मा0 कुलपति महोदय, डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. विभागाध्यक्ष; डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. समस्त नोटिश बोर्ड।

(यशवन्त राव)
कुलसचिव

एल.डी.ए. कानपुर रोड योजना, लखनऊ-226 012
L.D.A., Kanpur Road Scheme, Lucknow-226 012
दूरभाष सं. 0522-2425902-903 टेलीफैक्सः 0522-2422841
Phone No. 0522-2425902-903, Telefax:0522-2422841

Directorate of Technical Education, Bhopal (M.P.)

Benefit under MMVY Scheme for Students Admitted in Outside State Institutions

Guidelines for Institutions

After verification, the institutions are required to submit essential documents listed below for reimbursement of fee with the duly signed Recommendation cum Verification form/Application form for Sanction for MMVY Scheme :-

1. Original copy of Verification Slip (Recommendation for Sanction & Payment of Benefit under MMVY Scheme) of your institute in prescribed format, duly signed and sealed by the authorized officials of the institute.
2. Copy of Application submitted by the student, duly signed and sealed by the authorized officials of the institute.
3. Copy of Mark Sheet of class 12th of the student, signed and sealed by the authorized official of the institute.
4. Copy of Mark Sheet of Entrance Exam of the student signed and sealed by the authorized official of the institute.
5. Copy of M.P. Domicile Certificate of the student, signed and sealed by the authorized official of the institute.
6. Copy of Income Certificate issued by the competent authority of Madhya Pradesh, signed and sealed by the authorized official of the institute.
7. Copy of Aadhar Card of the student, signed and sealed by the authorized official of the institute.
8. Copy of Fee Receipt paid by the student, which mentions head-wise / component-wise fee details, signed and sealed by the authorized official of the institute.
9. Fee structure of the institution, signed and sealed by the authorized official of the institute.
10. Copy of Bank Account Details of the institute mentioned by the institute in the portal, signed and sealed by the authorized official of the institute.
11. **Head wise prescribed format for Fee paid in institution attached herewith as Appendix I.**

You are requested to send the Recommendation Proposals of the students of your institution containing all above documents, to the following address –

Director, Technical Education, M.P. Bhopal,
Mukhyamantri Medhawi Vidyarthi Yojna Office,
Tagore Hostel No. – 2, Shyamla Hills,
Bhopal – 462002 (Madhya Pradesh).

regards,

Team MMVY